सन्दर्भ सं. सीजीटीएमएसई / 229 फ़रवरी 14, 2024

सीजीटीएमएसई के सभी सदस्य ऋणदात्री संस्थाएँ (एमएलआई) – सीजीएस I, सीजीएस II और सीजीएस III

परिपत्र सं.238/2023-24

महोदया /प्रिय महोदय,

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों को उनकी समग्र आवश्यकता के लिए गैर प्रतिभूत किफायती ऋण प्रवाह की सुविधा के लिए, हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि "ऋण गारंटी योजना के तहत अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान" शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यम वे उद्यम हैं जिन्हें जीएसटी अभिशासन से छूट दी गई है।

अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) के लिए विशेष प्रावधान के तहत पात्रता और विशेषताएं/लाभ नीचे दिए गए हैं:

1. उन आईएमई पर लागू है जिन्हें जीएसटी अभिशासन से छूट प्राप्त है और वे उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) पर पंजीकृत हैं।

2. गारंटी कवरेज वहां उपलब्ध होगा जहां क्रेडिट सुविधा ₹ 20 लाख तक है।

3. बैंकों और सह-उधार (क्रमशः सीजी एस I और III) के लिए ₹ 10 लाख तक वार्षिक गारंटी शुल्क की मानक दर ₹ 0.37% होगी और ₹ 10 लाख से अधिक और ₹ 20 लाख तक की गारंटी के लिए ₹ 0.45% होगी। सीजीएस-II (एनबीएफसी के लिए गारंटी योजना) के तहत सामान्य दरें लागू होंगी।

4. गारन्टी प्राप्त करने के लिए प्राथमिक प्रतिभूति का सृजन कोई पूर्वापेक्षा नहीं है।

5. गारन्टी प्राप्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई आरंभ करना आवश्यक नहीं है ।

ऋण गारंटी योजना की अन्य सभी प्रसंविदाएं (बैंकों के लिए सीजीएस – I, एनबीएफसी के लिए सीजीएस - II और सह-उधार के लिए सीजीएस III) यथावत लागू होंगी और समय-समय पर यथा संशोधित होंगी।

विशेष प्रावधानों का उद्देश्य मांग पक्ष तथा आपूर्ति पक्ष की आवश्यकताओं को पूरा करना है। सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से अधिक ऋण देने की अपेक्षा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप एमएसई क्षेत्र में आईएमई को ऋण प्रवाह में वृद्धि हो।

विशेष प्रावधान परिपत्र जारी होने की तारीख को या उसके बाद अनुमोदित सभी गारंटियों के लिए प्रभावी होगा।

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने सभी कार्यालयों के ध्यान में लाएँ ।

भवदीय,

(धीरज कुमार)
उप महाप्रबंधक